



कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर



प्रेस- नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक 18.10.2026

➡ जनपदीय साइबर सेल द्वारा म्यूल बैंक खाते खुलवाकर साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराने एवं साइबर ठगी की धनराशि का हस्तांतरण करने वाले गिरोह के 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

➡ विभिन्न राज्यों में साइबर ठगी से संबंधित कुल 09 शिकायतें प्रकाश में आईं, जिनमें कुल 04 करोड़ 77 लाख 37 हजार 216 रुपये की धनराशि शामिल।

➡ गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 03 मोबाइल फोन, 01 चेकबुक, 03 एटीएम कार्ड एवं 02 पासबुक बरामद।

संक्षिप्त विवरण- समन्वय पोर्टल पर प्राप्त साइबर फ्राड की शिकायतों से सम्बन्धित म्यूल खातों की जाँच के क्रम में जनपदीय साइबर सेल द्वारा दिनांक 17.10.2026 को संदिग्ध मोबाइल नम्बरों, बैंक खातों व संदिग्ध व्यक्तियों के द्वारा जाँच/सत्यापन के अनुक्रम में संकलित अभिलेखीय/इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पर पूछताछ के क्रम में विभिन्न बैंकों में म्यूल बैंक खाते खुलवाकर साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराने एवं खातों के माध्यम से साइबर ठगी की धनराशि का हस्तांतरण कारित करने वाले गिरोह का भण्डाफोड़ कर साइबर क्राइम पुलिस थाना पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 28/2026 धारा 317(4), 49 बीएनएस व 66C IT ACT पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:- श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के निर्देशन में साइबर अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु प्रभावी नियंत्रण बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर/साइबर के कुशल नेतृत्व में जनपदीय साइबर सेल द्वारा बैंकों में म्यूल बैंक खाते खुलवाकर साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराने एवं खातों के माध्यम से साइबर ठगी की धनराशि का हस्तांतरण कारित करने वाले गिरोह को दिनांक 17.10.2026 गिरोह के 02 अभियुक्तगण क्रमशः 1. अनुज पटेल उर्फ बलजीत पुत्र रघुवीर उम्र करीब 26 वर्ष निवासी परसदेपुर थाना औंग जनपद फतेहपुर 2. लवकुश पुत्र श्रीलाल उम्र करीब 22 वर्ष निवासी उमरापुर थाना मलवा जनपद फतेहपुर को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद किया गया। गिरफ्तारी एवं माल बरामदगी के आधार पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 28/2026 धारा 317(4), 49 बीएनएस व 66C IT ACT पंजीकृत कर विधिक अनुक्रम में अभियुक्तों को आज दिनांक 18.10.2026 को मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा साइबर अपराध में फ्राड किये गए रुपयों को चैनल/हस्तांतरित करने के लिए अपने खातों को किराए पर दिया जाता था। इसके लिए उन्हें इस फ्राड धनराशि का अंश प्राप्त होता था और अन्य लोगों के खातों से लिंक मोबाइल नंबर/सिम को अपने मोबाइल में लगाकर यूपीआई आईडी बनाकर साइबर फ्राड से आई हुई धनराशि को आगे अन्य म्यूल खातों में हस्तांतरित कर दिया जाता था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता-

1. अनुज पटेल उर्फ बलजीत पुत्र रघुवीर निवासी परसदेपुर थाना औरंग जनपद फतेहपुर ,उम्र करीब 26 वर्ष
2. लवकुश पुत्र श्रीलाल निवासी उमरापुर थाना मलवा जनपद फतेहपुर, उम्र करीब 22 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

1. iPhone 16 फोन- 01 अदद
2. Vivo T2x एन्ड्रॉएड फोन- 01 अदद
3. Techno एन्ड्रॉएड फोन- 01 अदद
4. चेकबुक- 01 अदद
5. ATM कार्ड- 03 अदद
6. पासबुक- 02 अदद

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज शिकायत संख्या- अलग-अलग राज्यों में कुल 09 शिकायतें प्राप्त हुयी जिसमें फ्रॉड की धनराशि 04 करोड़ 77 लाख 37 हजार 02 सौ सोलह रुपये है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 प्रभांशु शुक्ल, प्रभारी, जनपदीय साइबर सेल, जनपद फतेहपुर।
2. उ0नि0 रवि सिंह
3. उ0नि0 शिवम कन्नौजिया
4. हे0का0 अखिलेश उपाध्याय
5. का0 शुभेन्दु रंजन
6. आ0 अरुण कुमार
7. म0 का0 सुगन्ध

सोशल मीडिया सेल

जनपद फतेहपुर